No. T-20011/1/2025-Trg(ISTM)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Training Wing
*****

Block-IV, Old JNU Campus, Third Floor
New Mehrauli Road, New Delhi-110067
Dated: 02nd April, 2026

To

The Director
Institute of Secretariat Training and Management
Old JNU Campus
New Delhi – 67.

Subject: Amendment to Recruitment Rules of various faculty posts in ISTM-reg.

Sir

I am directed to refer to ISTM's file no A-12018/05/2022-ISTM regarding the subject cited above and state that the RRs of the following eleven faculty posts, after amendment with the approval of the Competent Authority, have been notified in the Gazette of India dated 28.03.2026 (copy enclosed)

i. Joint Director (Behavioural Training)
ii. Joint Director (Financial Management)
iii. Joint Director (Peripatetic Training)
iv. Deputy Director (Management Services)
v. Deputy Director (Office Management)
vi. Deputy Director (Financial Management)
vii. Deputy Director (Peripatetic Training)
viii. Deputy Director (Foundational Course)
ix. Deputy Director (Accounts)
x. Deputy Director (Vigilance Course)
xi. Assistant Director (Office Management)

2. In view of the above, ISTM is requested to take necessary action in r/o the aforesaid posts.

Yours faithfully

Digitally signed by
Ram Bhagat Kushwaha
Date: 02-04-2026
10:49:38

Encl(s): As above.

(Ram Bhagat Kushwaha)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-26706305
email: rb.kushwaha@nic.in

Copy to:NIC Block IV. Old JNU Campus, New Delhi. [With a request to publish the amended RRs of the 11 posts on the Department website in terms of DoPT's O.M. No.AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dt.27.02.2015]

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29032026-271391
CG-DL-W-29032026-271391

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2026, शनिवार/चैत्र 1—चैत्र 7, 1948
No. 10] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2026, SATURDAY/CHAITRA 1—CHAITRA 7, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, आशुलिपिक श्रेणी - 2, सहायक सवारी अनुदेशक तथा सहायक शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक या खेल अधिकारी भर्ती नियम, 2014, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी - 2 के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, में आशुलिपिक श्रेणी - 2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, आशुलिपिक श्रेणी - 2, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी - 2	9* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर - 4 (25,500 - 81,100 रू.	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य । (ii) कौशल परीक्षा सन्नियम - श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर 10 मिनट ।

					टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित हो ।	प्रतिलेखन : 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी), केवल कंप्यूटर पर ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती । **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, जब तक कि पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर नहीं भरा जाता, तब तक उन्हें प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्ध - सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन अधिकारियों में से भरा जा सकेगा : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; (ii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों ।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (प्रशा.) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - सदस्य; 3. उपनिदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. टी-21011/1/2026 - ए सी ए डी डेस्क]

उमा मगेश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th March, 2026

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Stenographer Grade-II, Assistant Riding Instructor and Assistant Physical Training Instructor or Sports Officer Recruitment Rules, 2014, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Stenographer Grade-II, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade II.	9* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group `C' Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms- **Dictation:** 10 minutes @ 80 words per minute. **Transcription:** 50 minutes (English.), 65 minutes (Hindi) on Computer only.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more or till the posts are filled up on regular basis through Staff Selection Commission may be filled on deputation from the officials under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or recognised research	Not applicable.

		institutions or University or public sector undertakings or Semi-Government or statutory or autonomous Organisations: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Chairperson 2. Deputy Director, (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie –Member; 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie – Member.	Not applicable.

[F. No. T-21011/1/2026-Acad Desk]

UMA MAGESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण) के पद हेतु भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	**सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण)	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या सरकारी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान या

			स्वायत्त निकाय के अधीन ऐसे अधिकारीः- **(क) (i)** जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या, **(ii)** जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और **(ख)** जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते है, अर्थातः- **आवश्यकः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में मानव संसाधन प्रबंध या कार्मिक प्रबंध या प्रबंध या मनोविज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान की बैचलर डिग्री; और (ii) प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानव संसाधन प्रबंध या कार्मिक प्रबंध या प्रबंध या मनोविज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान में मास्टर्स डिग्री। (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्:- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; या (आ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56 वर्ष) से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025-प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ जे डी (बी टी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management Joint Director (Behavioural Training) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Behavioural Training) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Behavioural Training) Group 'A' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Joint Director (Behavioural Training).	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).	**By deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Government Universities or recognised research institutes or statutory or autonomous organisations,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University with Human Resource Management or Personnel Management or Management or Psychology or Industrial Psychology or Behavioural Science as a subject in graduation level; **and** (ii) five years' experience in Administrative or Establishment or Financial Matters. **Desirable:** (i) Master's degree in Human Resource Management or Personnel Management or Management or Psychology or Industrial Psychology or Behavioural Science from a recognised University or institute; (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in matters related to training; or (B) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **four years.**

			Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg(ISTM)/ JD (BT)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंध) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंध) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंध) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी संयुक्तबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए संयुक्तबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबंध)	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या** (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं अर्थात्-

			आवश्यकः- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री; **और** (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या कारबार प्रबंधन या लेखा या वित्त में मास्टर्स डिग्री। (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात,- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; (आ) वेतन स्तर 10 (56100-177500 रू.) या अधिक में एकीकृत वित्तीय प्रभाग में एक वर्ष का अनुभव,;या (इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **4 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन (56) वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ जे डी (एफ एम)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Financial Management) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Financial Management) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Financial Management) Group 'A' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2026.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Joint Director (Financial Management).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	**By deputation:** Officers under the Central Government:— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; **or**

			(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) five years' experience in administrative or establishment or financial matters in ministerial posts of Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Commerce or Economics or Business Administration or Accounts or Finance from a recognised University or institute; (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in matters related to training; (B) one year experience in Accounts Division in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **four years.** **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ JD (FM)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण) समूह 'क' भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2026 कहा जा सकेगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृतिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
संयुक्त निदेशक	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता।

(भ्रमणशील प्रशिक्षण)	(2026)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित अननुसचिवीय	में स्तर-12 (78800-209200रू.)	होता।	होता।	

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः-** (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते है, अर्थात्:- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में पांच वर्षों का अनुभव। **वांछनीयः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन या अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री। (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्;- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; (आ) वेतन स्तर-10 (रू. 56100-177500) या अधिक में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव; या

			(इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया **चार वर्षो** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन (56) वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ जे डी ((पी टी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management Joint Director (Peripatetic Training) Group 'A' Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Peripatetic Training) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Peripatetic Training) Group 'A' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2026.

   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Joint Director (Peripatetic Training).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	**By deputation:** Officers under the Central Government:— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) five years' experience in Administrative or Establishment or Financial Matters in ministerial posts of Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Public Administration or economics from a recognised University or institute;

			(ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in matters related to training; (B) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **four years.** **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ JD (PT)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (प्रबंध सेवाएं) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के अलावा अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (प्रबंध सेवाएं) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (प्रबंध सेवाएं) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (प्रबंध सेवाएं)	04 * (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वाराः** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस

			श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते है , अर्थात् :- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में बैच्लर डिग्री; और (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में चार वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या मानव संसाधन में मास्टर्स डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कारबार प्रबंधन में या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट और वर्क एकाउंटेंट में मास्टर्स डिग्री; (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्:- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; (आ) वेतन स्तर-10 (56100-177500 रू.) या अधिक में एकीकृत वित्तीय प्रभाग में एक वर्ष का अनुभव; (इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया **4 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ जे डी (एम एस)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Management Services) Group 'A' Gazetted posts Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Management Services) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Management Services).	04* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers of the Central Government,– (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or institute; **and** (ii) four years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in ministerial posts in the Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Economics or Human Resource Management from a recognised University or institute; OR Master of Business Administration or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant from a recognised University or institute; (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in handling training related matters; (B) one year experience in Integrated Finance Division in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**.

			Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ JD (MS)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान उप निदेशक (कार्यालय प्रबंध) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (कार्यालय प्रबंध) के पद हेतु भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (कार्यालय प्रबंध) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (कार्यालय प्रबंध)	03* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुए है; या, (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव रखते है, अर्थात:- **आवश्यकः-** (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री; और (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में साधारण प्रशासन या स्थापन या वित्तीय मामलों में चार वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन या अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री; या (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर

			प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्;- (अ) वेतन स्तर-10 या अधिक में भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता मामलों में एक वर्ष का अनुभव; (आ) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **चार वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ जे डी ((ओ एम)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management Deputy Director (Office Management) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Office Management) Group ‘A’ Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Office Management).	03* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers of the Central Government: – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or,** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) four years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in ministerial posts of

			Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Public Administration or Economics from a recognised University or institute; (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognized Trainer or Direct Trainer Skills or Design of Training in Trainers Development Programme; (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in ministerial posts of Government of India in pay level 10 or above; or (B) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ JD (OM)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 76.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (वित्तीय प्रबंध) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (वित्तीय प्रबंध) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (वित्तीय प्रबंध) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में

उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी संयुक्तबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए संयुक्तबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (वित्तीय प्रबंध)	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं अर्थात्- **आवश्यकः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री; और (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में चार वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थ शास्त्र या कारबार प्रबंधन या लेखा या वित्त में मास्टर्स डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार के किसी संस्थान से बजट, ई-उपापन, वित्तीय मामले और निष्पादन बजट में प्रशिक्षण का दो वर्ष का अनुभव। (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iv) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात :- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव (आ) वेतन स्तर 10 (56100-177500 रू.) या अधिक में भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता मामलों में एक वर्ष का अनुभव; या (इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक

			पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **4 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन (56) वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ डी डी (एफ एम)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 76.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Financial Management) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Financial Management) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Financial Management) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Financial Management).	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers under the Central Government:– (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) four years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in ministerial posts of Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Commerce or Economics or Business Administration or Accounts or Finance from a recognised University or institute; (ii) two years' experience of training in any Central Government institute in budget, e-procurement, financial matters and performance budgeting; (iii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognized Trainer or Direct Trainer Skills

			(DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iv) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in handling training related matters; (B) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ DD (FM)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में उप निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान उप निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे

संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (भ्रमणशील प्रशिक्षण)	1* (2026)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-208700रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, अर्थातः- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री; और (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में चार वर्षों का अनुभव। **वांछनीयः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन या समाजिक शास्त्र या मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) केंद्रीय सरकार के किसी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण का दो वर्ष का अनुभव; (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iv) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्:- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; (आ) वेतन स्तर-10 (56100-177500 रू) या अधिक में भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता मामलों में एक वर्ष का अनुभव; (इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव।

			टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया **चार वर्षों** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ डी डी (पी टी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Peripatetic Training) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Peripatetic Training) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Peripatetic Training) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Peripatetic Training).	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers under the Central Government:— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) four years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in ministerial posts of Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Public Administration or Sociology or Psychology from a recognised University or institute; (ii) two years' experience of training in any Central Government Training Institute; (iii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers

			Development Programme (TDP); (iv) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in handling training related matters; (B) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in ministerial posts of Government of India in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in handling matters related to development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ DD (PT)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान उप निदेशक (आधारिक पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (आधारिक पाठ्यक्रम) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (आधारिक पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृतिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (आधारिक पाठ्यक्रम)	02* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा ससता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; **या**

			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं अर्थात्- **आवश्यकः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री; **और** (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में चार वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानव संसाधन या मनोविज्ञान में मास्टर्स डिग्री। (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात :- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव (आ) वेतन स्तर 10 (56100-177500 रू.) या अधिक में भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता मामलों में एक वर्ष का अनुभव; (इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **चार वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन (56) वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ डी डी (एफ सी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Foundational Course) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Foundational Course) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Foundational Course) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Foundational Course).	02* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers of the Central Government:– (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) four years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in ministerial posts of Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Human Resource Management or Psychology from a recognised University or institute; (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP). (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in handling training related matters; (B) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in ministerial posts of Government of India in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ DD (FC)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (लेखा), समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (लेखा) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृतिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (लेखा)	1* (2026)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-208700रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः-** (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या** (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, अर्थात्- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री; **और** (ii) भारत सरकार में वित्तीय नियम और विनियम, कैश, लेखा और बजट कार्य में चार वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या कारबार प्रबंधन में मास्टर्स डिग्रीः या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कारबार प्रबंधन (वित्त) में या चार्टड एकाउंटेंट या कंपनी सेक्रटरी या

			कॉस्ट और वर्क एकाउंटेंट में मास्टर्स डिग्रीः (ii) केंद्रीय सरकार के किसी प्रशिक्षण संस्थान में बजट और लेखा मामलों में दो वर्ष के प्रशिक्षण का अनुभव; (iii) केंद्र सरकार द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (iv) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में रोकड़ एवं लेखा का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; (v) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (vi) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्:- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलो को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; (आ) वेतन स्तर-10 (56100-177500रू.) या अधिक में प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय मामलों में एक वर्ष का अनुभव; (इ) वेतन स्तर-10 (56100-177500रू.) या अधिक में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव; या (ई) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **तीन वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ डी डी (अकाउंट्स)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management Deputy Director (Accounts), Group 'A' Gazetted posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Accounts) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Accounts) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Accounts).	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers under the Central Government:– (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) four years' experience in financial rules and regulations, cash, accounts and budget works in Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Commerce or Economics or Business Administration from a recognised University or institute; OR Master of Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant from a recognised University or institute; (ii) two years' training experience in any Central Government Training Institute in Budget and Accounts matter; (iii) a Pass in the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Central Government; (iv) successful completion of training in the Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management; (v) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (vi) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in handling training related matters; (B) one year experience in Administrative or Establishment or Financial matters in pay level

			10 (Rs. 56100-177500) or above; (C) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (D) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **three years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ DD (Accounts)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 80.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान उप निदेशक (सतर्कता पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (सतर्कता पाठ्यक्रम) के पद हेतु भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (सतर्कता पाठ्यक्रम) समूह 'क' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (सतर्कता पाठ्यक्रम)	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

			(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते है, अर्थात:- **आवश्यकः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में बैचलर डिग्री; और (ii) सतर्कता और अनुशासन संबंधी कार्यों में दो वर्षों का अनुभव| **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि की बैचलर डिग्री; या (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में अनुभव रखते हो, अर्थात्;- (अ) प्रशिक्षण संबंधी मामलों को संभालने का एक वर्ष का अनुभव; (आ) वेतन स्तर 10 (56100-177500 रु.) या अधिक में भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में प्रशासनिक या स्थापन या एकीकृत वित्तीय मामलों में एक वर्ष का अनुभव; या (इ) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **चार वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन **(56) वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ डी डी (वी सी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Institute of Secretariat Training and Management Deputy Director (Vigilance Course) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Vigilance Course) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Vigilance Course) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Vigilance Course).	01*. (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	**By deputation:** Officers of the Central Government:– (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or institute; **and** (ii) two years' experience of dealing with vigilance or disciplinary matters. **Desirable:** (i) Bachelor's degree in Law from a recognised University or institute. (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP; (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:— (A) one year experience in handling training related matters; (B) one year experience in Administrative or Establishment or Integrated Finance Division in ministerial posts of Government of India in pay level 10 (Rs. 56100-177500) or above; or (C) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ DD (VC)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंध) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंध) के पद हेतु भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंध) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, आदि – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृतिः- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंध)	05* (2026)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रू.)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारीः- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, अर्थात:- **आवश्यकः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैच्लर डिग्री; और (ii) भारत सरकार के अनुसचिवीय पदों में साधारण प्रशासन या स्थापन या वित्तीय मामलों में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन या मानव संसाधन प्रबंधन की मास्टर्स डिग्री; या (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास या अनुदेशों के डिजाइन

			या पाठ्यक्रम डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर- बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **तीन वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. टी-20011/1/2025- प्रशिक्षण (आईएसटीएम)/ ए डी (ओ एम)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (Office Management) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management Assistant Director (Office Management), Group 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.— No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Assistant Director (Office Management).	05* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
8	**9**	**10**	**11**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	**By deputation:** Officers under the Central Government:– (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **Essential:** (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or institute; (ii) one year experience in General Administration or Establishment in financial matters in ministerial posts in Government of India. **Desirable:** (i) Master's Degree from a recognised University or institute in Public Administration or Human Resource Management; (ii) Department of Personnel and Training certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iii) one year experience in development of online Training Module or instruction design or curriculum design.

			Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **three years**. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	**13**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. T-20011/1/2025-Trg (ISTM)/ AD (OM]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 82.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014, जहां तक उनका संबंध भारत निर्वाचन आयोग में अवर श्रेणी लिपिक (अब कनिष्ठ सचिवालय सहायक) पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा, भारत निर्वाचन आयोग में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को भारत निर्वाचन आयोग, **कनिष्ठ सचिवालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026** कहा जाए।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोज्यता-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, ग्रेड पे या वेतन स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे संलग्न ग्रेड वेतन या वेतन का स्तर इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि-** उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्रहता-** कोई व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का अनुबंध किया है

   वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा: